भाग-3

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है,)

File No. FP/UP / Road/ 150633/2021

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या इसका संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां या नही), यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

- 15. क्या संबन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हाँ।

(निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है)।

हॉ

प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित है।

नाम व पदनाम सरकारी मोहर

(रमेश वन संरक्षक एवं ह N मुरादाबाद वृत्त

15[4]2023 तिथि ः स्थान :

SITE INSPECTION REPORT OF CF MORADABAD

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by the this office from $u(tu) = 1 + \frac{1}{2} +$

On inspection of the site, it is found that the land required buy the user agency is a RF/PF/unclassed/Protect forest measuring. PF 63.5796 Hac.

The requirement of Protected forest land as proposed by the user agency in col.2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project. **Yes**

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna in the area. If so, the details thereof. No

Whether any protected/archaeological/heritage site/ defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required. No

- ✓a. The user agency has not violated the provision of forest (conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction. (Yes)
- ★ b. it has been found that the user agency has violated the forest (conservation) Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chepter-1; para C of handbook of forest (Conservation) Act. 1980 is attached. (No)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.-

Recommended for acceptance.

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद। ^{पत्रांक} 5999/ 14-1 दिनांक, मुरादाबाद 66/04/ 2023

सेवा में.

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लंखनऊ।

विषय :-- जनपद मुरादाबाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद–काशीपुर मार्ग (एन०एच०–734) के किमी० 389.00 (प्रस्तावित किमी० 0.00) से 39.750 तक (प्रस्तावित किमी० चैनेज सं०– 39.750) तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 63.5796हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 11277 वृक्षों व 32859 पौधों कुल 44136 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। File No. FP/UP/ Road/150633/2021

सन्दर्भ :— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद की पत्र संख्या–3034 / 14–1, दिनांक 03–04–2023 महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना हैं कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद ने जनपद मुरादाबाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद—काशीपुर मार्ग (एन०एच०—734) के किमी० 389.00 (प्रस्तावित किमी० 0.00) से 39.750 तक (प्रस्तावित किमी० चैनेज सं०—39.750) तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 63.5796हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 11277 वृक्षों व 32859 पौधों कुल 44136 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति सम्बन्धित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है। प्रभाग स्तर से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव संस्तुति सहित 03 मूल प्रतियों में आपको इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयक प्रस्ताव पर अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक– प्रस्ताव मूल 03 प्रतियों में।

भवदीय,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, भूगरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

<u> पत्रांक- 2999 / 14-1, उक्तदिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः- 1- मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड जोन, उ०प्र०, बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माघ्यम से विषयक प्रस्ताव **(इस कार्यालय से प्राप्त कर)** मुख्य वन संरक्षक रनोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र/तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वन संरक्षक एवं भूरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।